UPMP040039862026

न्यायालय J.M.Ist class-cum-Addl.Munsif V, Mainpuri

पीठासीन अधिकारी– (SMT. PREETI SHUKLA) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP04691**

Criminal Misc. Cases/862/2026

Pushpa Devi Vs. Ajaypal

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र सं०- 13 /2026

अन्तर्गत धारा- 173(4) BNSS
थाना बिछवां, जिला मैनपुरी ।

दिनांक- 01.05.2026

1- पत्रावली आज आदेशार्थ प्रस्तुत हुयी। पूर्व दिनांक पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा- 173(4)** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर आवेदक पुष्पा देवी के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

2- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मय शपथ पत्र आवेदक की मुख्य रूप से कथन किया गया है कि प्रार्थिनी दिनांक 30.12.2025 को शाम 8 बजे हमारी भैंस का खूंटा तोड जाने के कारण पडोसी अजयपाल की भैंस की झगड गयी तभी विपक्षीगण ने प्रार्थिनी की भैंस को बुरी तरह लाठी-डंडों से मारने लगे जब प्रार्थिनी व उनके पति ने भैंस को मारने से मना किया तो प्रार्थिनी व उसके पति को गाली-गलौज करने लगे तथा घर में घुसकर दोनों के साथ मारपीट की। प्रार्थिनी के शोरगुल पर गांव के लोग आ गये जिन्होंने घटना देखी व प्रार्थिनी व उसके पति को बचाया। उक्त घटना के संबंध में संबंधित थानाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन सुनवाई नहीं की गयी। प्रार्थिनी के पति व पुत्र के विरूद्ध अपराध संख्या 416/2025 अं०धा० 351(2),352,115(2) भा०न्या०सं० पंजीकृत कर लिया गया है। प्रार्थिनी ने एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय को भी दिया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी। अतः प्रार्थिनी की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

3- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) दं०प्र०सं० के समर्थन में प्रार्थी का शपथ पत्र, श्रीमान पुलिस अधीक्षक को प्रेषित पत्र की प्रति मय डाक टिकिट, चिकित्सीय प्रपत्र, एवं एफ०आई०आर० की छायाप्रति प्रस्तुत किये गये हैं। बी०एन०एस०एस० 2023 की धारा 173(4) के प्रावधानों के तहत थाने के द्वारा प्रस्तुत की गयी पुलिस आख्या का अवलोकन किया। थाने की आख्या के अनुसार उक्त वर्णित घटना के संबंध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

4- सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5- प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी को विपक्षीगण के नाम व पता ज्ञात है। इस प्रकार प्रार्थी को मामले का तथ्यगत संज्ञान है। वह अपने साक्ष्य के माध्यम से मामले को साबित कर सकता है। मामले में कोई असाधारण व असामान्य स्थिति नहीं है न हीं विवेचना के उपरान्त किसी नये तथ्य के आने की संभावना है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस द्वारा विवेचना कराया जाना आवश्यक नहीं है। इस स्तर पर **सुखवासी लाल बनाम स्टेट आफ यू०पी० 2007(59) ए.सी.सी 739 इलाहाबाद खण्ड पीठ में माननीय उच्च न्यायालय** द्वारा अवधारित सम्मानित विधि व्यवस्था को उल्लेखित किया जाना समीचीन होगा, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सम्प्रेक्षित किया गया है कि मजिस्ट्रेट धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रार्थनापत्र के निस्तारण में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है, वह चाहे तो मामले में एफ.आई.आर. दर्ज करा सकता है या उसे परिवाद के रूप में दर्ज कर सकता है अथवा उसे निरस्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रस्तुत प्रकरण को परिवाद मामले के रूप में पंजीकृत कर इसकी जांच स्वयं न्यायालय द्वारा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र, परिवाद मामले के रूप में पंजीकृत किये जाने हेतु, स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिनी/आवेदिका पुष्पा देवी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को परिवाद मामले के रूप में पंजीकृत किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हेतु दिनांक 01.06.2026 को पेश हो।

दिनांक- 01.05.2026

(प्रीति शुक्ला)
अपर सिविल जज (अवर वर्ग)
कोर्ट संख्या–5, मैनपुरी